



स्कीम संबंधी दिशा-निर्देश

राष्ट्रीय यांत्रिक स्वच्छता इकोसिस्टम कार्य योजना (नमस्ते)
{पूर्ववर्ती मैनुअल स्केवेंजर्स के पुनर्वास के लिए स्व-रोजगार स्कीम (एसआरएमएस)}
वर्ष 2023-24 से लागू

1. प्रस्तावना:

- (i) मैनुअल स्केवेंजर्स के पुनर्वास के लिए स्व-रोजगार स्कीम (एसआरएमएस) को मैनुअल स्केवेंजिंग में नियोजित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है। इस स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2013 से सर्वेक्षण के माध्यम से चिन्हित मैनुअल स्केवेंजर्स को पुनर्वास उपलब्ध कराया जाता है।
- (ii) “हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013” (एमएस अधिनियम, 2013) के पश्चात, स्वच्छता क्षेत्र में कार्य परिस्थितियों में सुधार हेतु सीवरों तथा सेप्टिक टैंकों की सुरक्षित सफाई को समझने के लिए दृष्टिकोणों, नीतियों, मानकों, विनियमों को विकसित करना तथा स्वच्छता क्षेत्र में कार्य स्थिति को उन्नत करने हेतु विनियम बनाना। तब से एसआरएमएस के अंतर्गत सफाई कर्मचारियों को स्वच्छता संबंधी परियोजनाओं के लिए उपकरणों की खरीद हेतु, क्षमता निर्माण हेतु प्रशिक्षण के लिए, सीवरों और सेप्टिक टैंकों की परिसंकटमय सफाई पर कार्यशाला आदि के लिए अनुदान-ऋण जैसे लाभ प्रदान किया जाता है।
- (iii) यद्यपि, मैनुअल स्केवेंजिंग का उन्मूलन करने और चिन्हित मैनुअल स्केवेंजर्स का पुनर्वास करने के क्षेत्र में बड़ी सफलता प्राप्त की गई है तथापि सीवरों तथा सेप्टिक टैंकों की संपूर्ण सफाई मशीनों से करने तथा इस कार्य में कार्यरत स्वच्छता कर्मियों के पुनर्वास के क्षेत्र में अभी भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है।
- (iv) आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) के अंतर्गत स्वच्छ भारत मिशन 2.0 दिशानिर्देश स्वच्छता कर्मियों के कल्याण पर केन्द्रित हैं, तथा यह अन्य बातों के साथ-साथ शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) से सुरक्षात्मक उपकरणों तक पहुंच, प्रशिक्षण और जागरूकता बढ़ाने के माध्यम से अपनी व्यावसायिक सुरक्षा को बढ़ावा देने का आग्रह करता है। दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई - एनयूएलएम) दिशानिर्देश का सुझाव है कि गठित स्व-सहायता समूह (एसएचजी) का कम से कम 10% स्वच्छता कर्मियों सहित जोखिमपूर्ण व्यवसायों में लगे व्यक्तियों से निर्मित होना चाहिए। इसके बाद इन स्व-सहायता समूहों को अपने उद्यम चलाने का अधिकार दिया जाएगा।



- (v) भारत सरकार ने जुलाई, 2019 में सभी राज्यों को सभी शहरों में एमरजेंसी रिस्पांस सेनिटेशन यूनिट (ईआरएसयू) स्थापित करने हेतु परामर्शिका जारी की थी, जिसका उद्देश्य व्यावसायिक सुप्रशिक्षित, प्रेरित और उपयुक्त रूप से सुसज्जित प्रतिष्ठान के माध्यम से सीवर/सेप्टिक टैंक में मानव प्रवेश को व्यवस्थित करना है।
- (vi) हालाँकि, एमएस अधिनियम 2013 के प्रावधानों के बावजूद, लोगों को अभी भी उचित सुरक्षा गियर और सुरक्षा सावधानियों के बिना सीवरों, सीवेज वाले नालों और सेप्टिक टैंकों की सफाई के काम में लगाया जा रहा है। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (एनसीएसके) द्वारा 24 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, वर्ष 1993 से लेकर दिनांक 30.06.2023 के मध्य सीवर और सेप्टिक टैंक से संबंधित 1056 मौतें हुई हैं।
- (vii) विभिन्न मंत्रालयों के कई प्रयासों के बावजूद, स्वच्छता क्षेत्र अत्यधिक अनियमित है और स्वच्छता सेवाएं विभिन्न रूपों/मोडों में वितरित की जाती हैं - अपने स्वयं के कर्मचारियों के माध्यम से अथवा सरकार द्वारा औपचारिक रूप से अनुबंधित सेवा प्रदाताओं के माध्यम से सेवाओं का औपचारिक सरकारी वितरण, अपंजीकृत अथवा गैर-लाइसेंसीकृत अनौपचारिक सेवा प्रदाता और अंततः व्यक्तिगत स्वच्छता कर्मियों द्वारा वितरित की जाती है। 'सभी के लिए स्वच्छ जल और स्वच्छता' के सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) 6 को स्वच्छता कर्मियों के लिए एसडीजी 3 (अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण) और एसडीजी 8 (सभ्य कार्य और आर्थिक विकास) सुनिश्चित किए बिना पूरी तरह से प्राप्त नहीं किया जा सकता है।
- (viii) अधिकांश टायर II और III वैधानिक शहरों में उचित भूमिगत सीवरेज/जल निकासी प्रणालियाँ नहीं हैं। यहां तक कि जिन शहरों में भूमिगत सीवरेज/ड्रेनेज सिस्टम हैं, वे भी मशीनीकृत सफाई के लिए पूरी तरह सुसज्जित नहीं हैं। स्वच्छताकर्मी अभी भी निर्धारित सुरक्षात्मक गियर और उपकरणों के बिना सीवरों की हाथ से सफाई में लगे हुए हैं, जिससे उन्हें स्वास्थ्य संबंधी खतरों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए, यह आवश्यक है कि ऐसे श्रमिकों की पहचान, प्रशिक्षण और पुनर्वास के लिए एक विशिष्ट कार्य योजना तैयार की जाए और सीवर तथा सेप्टिक टैंकों की मशीनीकृत सफाई के लिए मशीनें/उपकरण उपलब्ध कराए जाएं।
- (ix) सुरक्षित व्यावसायिक प्रथाओं को विकसित करने, सेनिटेशन रिस्पांस यूनिट के संचालन को मजबूत करने और कौशल तथा उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्तर से शहरी स्तर तक एक बाहरी, समर्पित और संवेदनशील समर्थन संरचना की आवश्यकता है।



सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय) तथा आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने समयबद्ध मिशन मोड में शहरी भारत में स्वच्छता कार्य को सुरक्षित बनाने के लिए राष्ट्रीय यांत्रिक स्वच्छता इकोसिस्टम कार्य योजना (नमस्ते) स्कीम तैयार की है। नमस्ते स्कीम सफाई कर्मियों की सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों के मध्य एक संयुक्त प्रयास है।

(x) दिनांक 19.2.2020 को आयोजित बैठक में, माननीय रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में मंत्रियों के एक समूह ने नमस्ते स्कीम पर विचार-विमर्श किया और इसमें निम्नलिखित निर्णय लिए गए:

- क. प्रत्येक जिले में जिला मजिस्ट्रेट को रिस्पांसिबल सेनिटेशन अथॉरिटी (आरएसए) के रूप में नामित किया जा सकता है। उसकी भूमिका/जिम्मेदारी कानून के माध्यम से स्पष्ट रूप से परिभाषित की जानी चाहिए।
- ख. जिले के यूएलबी के मुख्यालय में सुसज्जित सेनिटेशन रिस्पांस यूनिट (एसआरयू) स्थापित की जाएगी, जिसका उद्देश्य पूरे जिले- ग्रामीण और शहरी दोनों - की सेवा करना होगा। इसके अलावा, प्रत्येक नगर निगम का एक अलग एसआरयू होगा।
- ग. मल कीचड़ और सेप्टेज प्रबंधन प्रणाली को वित्त पोषित करने के प्रस्तावों पर तीन वर्ष के भीतर कार्यान्वयन के लिए जल्द से जल्द विचार किया जाएगा।

2. परिभाषाएं:

- (i) हाथ से मैला उठाने वाले कर्मों और हाथ से सफाई: “हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013” के अनुसार "हाथ से मैला उठाने वाले कर्मों" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसको इस अधिनियम के प्रारंभ पर या उसके पश्चात किसी समय किसी अस्वच्छ शौचालय से या किसी खुली नाली या ऐसे गड्ढे में से, जिसमें अस्वच्छ शौचालयों से या किसी रेलपथ से या ऐसे अन्य स्थानों या परिसरों से, जिनको केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार अधिसूचित करे, मल-मूत्र के, ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, पूर्णतः विघटित होने से पूर्व, मानव मल-मूत्र को डाला जाता है, हाथ से सफाई करने, उसको ले जाने, उसके निपटान में या अन्यथा इसी रीति से किसी व्यक्ति या स्थानीय प्राधिकारी या अभिकरण या ठेकेदार द्वारा लगाया जाता है या नियोजित किया जाता है और "हाथ से मैला उठाने" पद का तद्रूप अर्थ लगाया जाएगा।



(ii) **मल-नाली/मलाशय की परिसंकटमय में सफाई:** किसी मल-नाली या मलाशय के संबंध में किसी कर्मचारी द्वारा "परिसंकटमय सफाई" से नियोजक द्वारा संरक्षात्मक साधनों और अन्य सफाई करने की युक्तियां उपलब्ध कराने की अपनी बाध्यताओं को पूरा किए बिना (एमएस नियमावली 2013 में यथा परिभाषित) और सुरक्षा संबंधी पूर्वाधानियों का, जो तत्समय किसी अन्य विधि या उसके अधीन बनाए गए नियमों में विहित या उपबंधित की जाए, अनुपालन सुनिश्चित किए बिना ऐसे कर्मचारी द्वारा उसका सफाई कार्य अभिप्रेत है।

(iii) **सभी पुनर्वास संबंधी उपायों के लिए परिवार और आश्रित निम्नलिखित रूप से परिभाषित हैं:**

क. कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम (एसडीटीपी)/ऋण स्कीम: सभी चिन्हित मैनुअल स्केवेंजर तथा उनके आश्रित जो इच्छुक हैं तथा 18 वर्ष से अधिक आयु के हैं इस कौशल प्रशिक्षण तथा ऋण के पात्र हैं। नमस्ते संबंधी एसडीटीपी के लिए एमएसडीई एवं एसजेई द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों का अनुपालन किया जाएगा।

ख. स्वास्थ्य बीमा : स्वास्थ्य बीमा करवरेज प्रयोजनार्थ परिवार वहीं होंगे जिन्हें अन्य परिवारों के संबंध में पीएम-जेएवाई के अंतर्गत अपनाया गया है।

(iv) **आश्रित:** मैनुअल स्केवेंजरों तथा स्वच्छता कर्मियों का आश्रित वह व्यक्ति है जो उनके परिवार का सदस्य हो या उन पर आश्रित हो। प्रत्येक चिन्हित मैनुअल स्केवेंजर अथवा स्वच्छता कर्मी तथा उसकी पत्नी/पति अथवा उसके बच्चे, जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक है, जो बेरोजगार हैं, उनको अनुमत्य लाभ उपलब्ध कराए जाएंगे।

(v) **स्वच्छता कर्मी/सफाई कर्मचारी:** "स्वच्छता कर्मी" का आशय उस व्यक्ति से है जिसे किसी साफ-सफाई के काम पर नियोजित अथवा नियुक्त किया गया है और इसमें कूड़ा बीनने वाले तथा वे व्यक्ति भी शामिल हैं, जो सीवरों एवं सेप्टिक टैंको की सफाई करते हैं, किन्तु इसमें घरेलू कामगार शामिल नहीं हैं।

(vi) **सीवर और सेप्टिक टैंक कर्मी (एसएसडब्ल्यू):** जो स्वच्छता कर्मी सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई में लगे हुए थे, उन्हें इस स्कीम के अंतर्गत आयोजित प्रोफाइलिंग के दौरान सीवर और सेप्टिक टैंक कर्मी के रूप में पहचाना जाएगा।

(vii) **सीवर एंटी प्रोफेशनल (एसईपी):** स्वच्छता कर्मी जो सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई में लगे हुए थे तथा उन्हें अनुमति के साथ सीवर और सेप्टिक टैंक में प्रवेश करना पड़ता था, वे सुरक्षा किट और उपकरणों से सुसज्जित होते थे, उन्हें सीवर एंटी प्रोफेशनल (एसईपी) के रूप में पहचाना जाएगा। सभी एसआरयू को



एसएसडब्ल्यू की प्रोफाइलिंग के दौरान ऐसे एसईपी की पहचान करनी चाहिए तथा उसके बाद ही उन्हें सीवर और सेप्टिक टैंक में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी।

3. नमस्ते स्कीम वर्ष 2022-23 से 31 मार्च, 2026 तक निम्नलिखित विवरण के साथ लागू है:-

3.1 नमस्ते का लक्ष्य

- (i) मंत्रियों के समूह के निर्णयों की भावना के अनुरूप, नमस्ते स्कीम का लक्ष्य शहरी भारत में स्वच्छता कर्मियों की सुरक्षा तथा गरिमा सुनिश्चित करना है ताकि इस कार्य के लिए एक ऐसे इकोस्टिकम का निर्माण किया जा सके जो स्वच्छता कर्मियों को स्वच्छता अवसंरचना के प्रचालन तथा अनुरक्षण के कार्य में मुख्य सहयोगियों के रूप में मान्यता प्रदान करता हो। इसके अंतर्गत सशक्त आजीविका उपलब्ध कराई जाएगी तथा क्षमता निर्माण के माध्यम से उनकी व्यवसायिक सुरक्षा तथा सुरक्षा उपकरणों एवं मशीनों के प्रति उनकी कार्य पहुंच बढ़ाई जाएगी।
- (ii) नमस्ते स्कीम का उद्देश्य स्वच्छता कर्मियों की कमजोरियों को कम करने के लिए पात्रता और आजीविका सहायता तक पहुंच प्रदान करना होगा और उन्हें व्यावसायिक सुरक्षा प्रशिक्षण एवं पीपीई किट प्रदान करने के पश्चात स्वच्छता संबंधित परियोजना के लिए पूंजी प्रदान करके स्व-रोजगार तक पहुंचने में सक्षम बनाना होगा ताकि उन्हें "सैनिप्रेन्योर" बनाया जा सके और उन्हें कुशल रोजगार के अवसर प्रदान किए जा सकें।
- (iii) इसके अलावा, नमस्ते स्कीम स्वच्छता कर्मियों के प्रति नागरिकों के व्यवहार में बदलाव लाएगा और सुरक्षित स्वच्छता सेवाओं की मांग को बढ़ाएगा, क्योंकि सभी सेवा प्राप्तकर्ताओं को सीवर सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए एसआरयू से संपर्क करना होगा, किसी भी अनौपचारिक कार्यकर्ता को ऐसा कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

3.2 लक्षित परिणाम

नमस्ते स्कीम का मुख्य विश्वास यह है कि स्वच्छता कर्मी एक गरिमामय जीवनयापन तथा सुरक्षित एवं बेहतर परिवेश में कार्य करने के लिए प्रेरित हों। नमस्ते स्कीम का लक्ष्य निम्नलिखित परिणाम प्राप्त करना है:



- क. भारत में स्वच्छता कार्यों में शून्य मृत्यु।
- ख. सभी स्वच्छता कार्य कुशल कर्मियों द्वारा किया जाए।
- ग. कोई भी स्वच्छता कर्मि मानव मल के सीधे संपर्क में न आए।
- घ. यंत्रीकृत स्वच्छता सेवाओं का सुरक्षित वितरण सुनिश्चित करने के लिए एसआरयू को मजबूत और सक्षम बनाना।
- ङ. स्वच्छता कर्मियों को एसएचजी में एकत्रित किया जाता है और उन्हें स्वच्छता उद्यम चलाने का अधिकार दिया जाता है।
- च. सीवर और सेप्टिक टैंक स्वच्छता कर्मियों (एसएसडब्ल्यू) और उनके आश्रितों को भी स्वच्छता संबंधी उपकरणों की खरीद के लिए पूंजीगत सब्सिडी प्रदान करके आजीविका तक पहुंच प्राप्त है।
- छ. पंजीकृत पीएसएसओ और कुशल एवं प्रमाणित स्वच्छता कर्मियों से सेवाएँ लेने के लिए स्वच्छता सेवा प्राप्तकर्ता (व्यक्तियों और संस्थानों) के मध्य जागरूकता में वृद्धि करना।
- ज. एसएसडब्ल्यू और मैनुअल स्केवेंजर्स तथा उनके परिवार के सदस्यों को एबी-पीएमजेवाई के अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा स्कीम का लाभ प्रदान करना।
- झ. एमएसडीई द्वारा एसएसडब्ल्यू को व्यावसायिक सुरक्षा प्रशिक्षण उनके सेक्टर कौशल परिषदों/अनुमोदित प्रशिक्षण भागीदारों के माध्यम से प्रदान किया जाएगा और मैनुअल स्केवेंजर्स को कौशल प्रशिक्षण एनएसकेएफडीसी द्वारा पीएम-दक्ष पोर्टल के माध्यम से प्रदान किया जाएगा।

3.3 कार्यनीति

नमस्ते स्कीम के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यनीति अपनाई जाएगी:

- (i) प्रमुख हितधारकों सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, एनएसकेएफडीसी, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, एमएसडीई, डीपीआईआईटी तथा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के मध्य अभिसरण स्थापित करना ताकि वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए उनकी क्षमता तथा विशिष्ट भूमिका को सुदृढ़ किया जा सके।



- (ii) सेनिटेशन रिस्पांस यूनिट (एसआरयू) के माध्यम से लाइसेंस प्राप्त / सूचीबद्ध और विनियमित व्यावसायिक व्यक्तियों/ एजेंसियों द्वारा सेवा वितरण सुनिश्चित करने के लिए स्वच्छता कार्य के विनियमन सहित यूएलबी के साथ निकट समन्वय में स्कीम को लागू करना।
- (iii) प्रशिक्षण इकोसिस्टम, संस्थागत सुदृढीकरण और सूचना संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी)-सक्षम निगरानी बनाना।
- (iv) आईईसी के माध्यम से स्वच्छता कर्मियों, सेवा प्राप्तकर्ताओं और नियोक्ताओं के मध्य जागरूकता सृजन और व्यवहार परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करना।
- (v) स्वच्छता उद्यमों को चलाने के लिए समुदाय-आधारित संस्थानों/व्यक्तियों के रूप में 'स्वच्छता कर्मियों' को तैयार और मजबूत करना।

3.4 कवरेज: शहर तथा लक्षित जनसंख्या एवं समय-सीमा

- (i) नमस्ते स्कीम भारत के पैरा-स्टेटल निकायों (जल बोर्ड आदि), छावनी बोर्डों (नागरिक क्षेत्रों) सहित सभी यूएलबी (वर्तमान में लगभग 4800 से अधिक यूएलबी) में लागू की जाएगी।
- (ii) नमस्ते स्कीम का प्राथमिक लक्ष्य भारत के शहरी क्षेत्रों में परिसंकटमय सफाई कार्यों और मानव मल से सीधे निपटने में शामिल सीवर और सेप्टिक टैंक स्वच्छता कर्मियों (एसएसडब्ल्यू) हैं। इसमें यूएलबी के पे-रोल पर काम करने वाले कर्मचारी, पैरास्टेटल और निजी स्वच्छता सेवा संगठनों (पीएसएसओ) के माध्यम से लगे कर्मचारी शामिल होंगे, जिनमें निजी ठेकेदार और एसएचजी भी शामिल हैं, जो सीधे निम्नलिखित स्वच्छता कार्यों में शामिल हैं:
 - क. सेप्टिक टैंक को खाली करना,
 - ख. सीवरेज नेटवर्क का रखरखाव,
- (iii) यूएलबी को नमस्ते पोर्टल के माध्यम से एसएसडब्ल्यू का विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिसमें एसएसडब्ल्यू प्रोफाइल, पंजीकृत और गैर-पंजीकृत पीएसएसओ



विवरण और अनुबंध, भुगतान विवरण, मौजूदा शहर स्वच्छता अवसंरचना, मशीनों, उपकरणों और सुरक्षा गियर आदि की उपलब्धता की स्थिति शामिल है।

- (iv) समयसीमा: नमस्ते स्कीम को वर्ष 2023-24 से वर्ष 2025-26 तक तीन वर्षों की अवधि में लागू किया जाएगा।

3.5 सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के कार्यक्रमों का अभिसरण: नमस्ते स्कीम सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय एवं आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है। एसएसडब्ल्यू की सुरक्षा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय एवं आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय का संयुक्त दायित्व है। अतः नमस्ते स्कीम का उद्देश्य सुशासन के लिए दोनों मंत्रालयों के मध्य अभिसरण को सशक्त करना और नमस्ते घटक का कार्यान्वयन करना है। स्कीम में नमस्ते, एसबीएम, डे-एनयूएलएम और एनएसकेएफडीसी के लिए वित्तीय आवंटनों को उपलब्ध कराना तथा एसएसडब्ल्यू के लिए व्यावसायिक, सामाजिक और वित्तीय सुरक्षा नेट प्रदान करने हेतु संकेंद्रित दृष्टिकोण अपनाने की शक्ति निहित है। विशेषतः निम्नलिखित इंटरवेंशनों /घटकों के लिए नमस्ते स्कीम के कार्यान्वयन को आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की स्कीमों (एसबीएम और डे-एनयूएलएम) के कार्यान्वयन के साथ अभिसरित किया जाएगा:

- क. एमआईएस पोर्टल के माध्यम से एसएसडब्ल्यू की पहचान और प्रोफाइलिंग करना।
- ख. प्रत्येक जिले में रिस्पांसिबल सेनिटेशन अथॉरिटी (आरएसए) का नामांकन सुनिश्चित करना।
- ग. प्रत्येक जिले के बड़े यूएलबी में एमरजेंसी रिस्पांस सेनिटेशन यूनिट (ईआरएसयू) की स्थापना, जिसमें सीवर और सेप्टिक टैंकों की मशीनीकृत सफाई के लिए जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान करने के लिए अपेक्षित संख्या में प्रशिक्षित स्वच्छता कर्मी और मशीनीकृत सफाई उपकरण उपलब्ध हों।
- घ. सीवर सेप्टिक टैंकों की सफाई के लिए सेवा प्राप्तकर्ताओं से सेवा अनुरोध प्राप्त करने के लिए प्रत्येक ईआरएसयू में अधिमानतः हेल्पलाइन नंबर 14420 चालू करना।



- ड. सीवर एंटी प्रोफेशनल्स (एसईपी) और इयूटी पर्यवेक्षकों के लिए व्यावसायिक सुरक्षा प्रशिक्षण और कौशल सहित नमस्ते स्कीम को लागू करने के लिए यूएलबी और ईआरएसयू कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना।
- च. पीएसएसओ और एसएसडब्ल्यू को शामिल करने के लिए यूएलबी को मॉडल अनुबंध जारी करना।
- छ. स्थानीय स्तर पर एमआईएस पोर्टल पर पीएसएसओ की सूची बनाना।
- ज. चिन्हित सीवर और सेप्टिक टैंक कर्मियों के एसएचजी गठन की सुविधा प्रदान करना।
- झ. ईआरएसयू के लिए सीवर/सेप्टिक टैंकों की गहरी सफाई (सतह के नीचे) के लिए पीपीई किट, सुरक्षा उपकरण खरीदना और उनको वितरित करना।
- ञ. स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शहरी स्थानीय निकायों के मशीनीकरण को बढ़ावा देना और उन्हें निधियां प्रदान करना।
- ट. स्वच्छता संबंधी परियोजनाओं के लिए पूंजीगत सब्सिडी का लाभ उठाने में रुचि रखने वाले स्वच्छता कर्मियों अथवा उनके समूहों को कार्य आश्वासन प्रदान करना।
- ठ. यूएलबी में आईईसी गतिविधियाँ चलाना।

उपरोक्त इंटरवेंशन के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय आवश्यक दिशानिर्देश जारी करेगा। अभिसरण प्रक्रिया के दौरान, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि लाभार्थियों के प्रयासों और कवरेज में कोई दोहराव न हो।

3.6 अन्य मंत्रालयों/विभागों के साथ अभिसरण:

- (i) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय: आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जेएवाई) के अंतर्गत एसएसडब्ल्यू और मैनुअल स्केवेंजर्स तथा उनके परिवारों के स्वास्थ्य बीमा कवरेज के लिए मैनुअल स्केवेंजर और स्वच्छता कर्मों उन 11 श्रेणियों में से हैं जिनके आंकड़ों का उपयोग राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा पीएम-जेएवाई के अंतर्गत उनके स्वास्थ्य बीमा कवरेज के लिए किया जाना है। शेष मैनुअल स्केवेंजर और नए चिन्हित एसएसडब्ल्यू को एबी-पीएमजेएवाई के अंतर्गत



स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा तथा नमस्ते स्कीम के अंतर्गत सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा।

- (ii) उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग: मशीनीकृत सफाई के लिए उपकरणों/मशीनों के विकास में नवाचार को बढ़ावा देना और इसके लिए स्टार्ट-अप की पहचान करना।
- (iii) पेयजल और स्वच्छता विभाग: प्रत्येक जिले के सबसे बड़े शहरी स्थानीय निकायों में स्थापित ईआरएसयू भले ही वे ग्रामीण क्षेत्राधिकार में स्थित हो, शहरी क्षेत्रों के परिधीय क्षेत्र में आपातकालीन सफाई की सेवा प्रदान करेगा। पेयजल और स्वच्छता विभाग की सेवाओं का लाभ उठाने के लिए अपने ग्रामीण निकायों को संवेदनशील बनाने हेतु इन ईआरएसयू के साथ सहयोग करेगा। पेयजल और स्वच्छता विभाग ग्रामीण क्षेत्रों में पीएसएसओ की मैपिंग करेगा और उन्हें एटीपी/एफएसटीपी के साथ टैग करेगा। वे ग्राम पंचायतों और अर्ध शहरी परिधीय क्षेत्रों को लक्षित करने वाले ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई संचालन के मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए सीवर और सेप्टिक टैंकों की सुरक्षित सफाई के बारे में ग्रामीण और शहरी परिधीय क्षेत्रों में आईईसी गतिविधियां चलाएंगे।
- (iv) कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय पीएमकेवीवाई के साथ मिलकर एसएसडब्ल्यू को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करेगा। ऐसे उम्मीदवारों के वजीफे का भुगतान नमस्ते स्कीम के अंतर्गत निधियों से किया जाएगा।

3.6.1 नमस्ते स्कीम सीवर और सेप्टिक टैंकों की सफाई में शामिल स्वच्छता कर्मियों की सुरक्षा और सम्मान के लिए कार्यक्रमों के अभिसरण का एकीकृत दृष्टिकोण अपनाएगा। अतः विभिन्न आवश्यक इंटरवेंशन चाहे वे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय अथवा आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय अथवा किसी अन्य मंत्रालय/विभाग द्वारा निपटाए जा रहे हों उन्हें विशेष रूप से चिन्हित किया गया है और नमस्ते स्कीम के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एकीकृत दृष्टिकोण में समेकित करने का प्रस्ताव दिया गया है। नमस्ते स्कीम के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक इंटरवेंशनों के वितरण के लिए उत्तरदायी मंत्रालय/विभाग का विस्तृत ब्यौरा निम्नानुसार है:-

| भाग | घटक | उत्तरदायी मंत्रालय/विभाग |
|--------|-------------------------------|--------------------------|
| भाग -क | ईआरएसयू का गठन और क्रियाशीलता | |



| | | |
|--------------|--|--|
| | -हेल्पलाइन | आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय |
| | -एसएसडब्ल्यू की प्रोफाइलिंग | सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (यूएलबी की मदद से) |
| | -ईआरएसयू स्टाफ और एसईपी का क्षमता निर्माण | आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय |
| | -सुरक्षा उपकरण | सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय |
| | -पीपीई किट | |
| | - सतह की सफाई करने वाले एसएसडब्ल्यू के लिए | सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय |
| | --सीवर की गहरी सफाई करने वाले कर्मचारियों के लिए | आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय |
| | -मशीनें/उपकरण | आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय |
| | निजी स्वच्छता सेवा संगठनों (पीएसएसओ) की सूची | आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय |
| भाग-ख | यंत्रिकृत सफाई उपकरणों/मशीनों का प्रावधान | |
| | -यूएलबी | आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय |
| | -एसयूवाई के अंतर्गत स्वच्छता कर्मी (आधार से जुड़े बैंक खातों के साथ) | सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय |
| भाग-ग | एबी-पीएमजेएवाई के अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा | एनएचए की सूची में नहीं आने वाले लाभार्थियों के लिए नमस्ते स्कीम द्वारा वित्त पोषण के साथ एनएचए |
| भाग-घ | क्षमता निर्माण | |
| | - भूतल एसएसडब्ल्यू का व्यावसायिक प्रशिक्षण | कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय / सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय |



| | | |
|---------------|---|---|
| | -सीवर एंटी प्रोफेशनल (एसईपी) का व्यावसायिक प्रशिक्षण | आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय |
| | -कार्यशालाएँ | सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय |
| | -ईआरएसयू के गठन के बारे में अध्ययन और मूल्यांकन और पीयर लर्निंग | सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय |
| भाग -इ | आईईसी अभियान | |
| | -पीएसएसओ केंद्रित | आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय |
| | -नागरिक केंद्रित | सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय |
| | -सफाईमित्र केंद्रित | सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय |
| भाग-च | एमआईएस | |
| | नमस्ते पोर्टल का विकास एवं रखरखाव | सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के परामर्श के साथ |
| भाग-छ | प्रशासनिक एवं अनधिक व्यय | सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय |

3.6.2 इसके अलावा, एसआरएमएस के अंतर्गत निम्नलिखित मौजूदा घटक एसएसडब्ल्यू पर ध्यान केंद्रित करेंगे: -

- (i) **स्वच्छता संबंधी परियोजनाओं के लिए सहायता:** वर्तमान समय में, चिन्हित मैनुअल स्केवेंजर, स्वच्छता कर्मी और उनके आश्रित स्वच्छता संबंधी परियोजनाओं के लिए पूंजीगत सब्सिडी के पात्र हैं। इसलिए, एसएसडब्ल्यू बड़े पैमाने पर क्रेडिट लिंकड अप-फ्रंट पूंजीगत सब्सिडी के लिए पात्र होंगे, जो निम्नानुसार है: -

| | |
|---|--|
| 5.00 लाख रुपए तक की परियोजना लागत | परियोजना लागत का 50% |
| 5.00 लाख रुपए से अधिक और 15.00 लाख रुपए तक की परियोजना लागत | 2.50 लाख रुपए + 5.00 लाख रुपए से अधिक शेष परियोजना लागत का 25% |
| 50.00 लाख रुपए तक की सामूहिक | वही, जिसमें प्रति सदस्य अधिकतम पूंजीगत सब्सिडी |



| | |
|--|---|
| परियोजना जिसमें प्रत्येक लाभार्थी का परियोजना में अधिकतम 10.00 लाख रुपए का शेयर हो | 3.75 लाख रुपए हों और अधिकतम समूह परियोजना सब्सिडी 18.75 लाख रुपए हो |
|--|---|

क. ऋण के पुनर्भुगतान की अवधि जिसमें 5,00,000 रुपए तक की परियोजना के लिए 5 वर्ष की अधिस्थगन अवधि होगी तथा 5,00,000 रुपए से अधिक की परियोजनाओं के लिए अधिस्थगन अवधि 7 वर्ष होगी, पुनर्भुगतान 6 माह से आरंभ होगा।

ख. दिनांक 31.03.2026 के बाद किसी भी प्रतिबद्धता को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है।

ग. ऋण के लाभार्थी जिन्होंने पूर्ववर्ती ऋण को सफलतापूर्वक चुका दिया है वे बाद में ऋण के लिए पात्र हैं।

घ. ऋण देने वाली एजेंसियां लाभार्थियों को ऋण पासबुक जारी करेंगी। इन पासबुकों में अन्य बातों के अलावा, ऋण की मंजूरी की तारीख, स्वीकृत ऋण की राशि, पूंजीगत सब्सिडी की राशि, ब्याज दर, प्रत्येक किस्त के अंतर्गत देय राशि, किस्तों की देय तारीख आदि और लाभार्थियों का आधार कार्ड तथा पैन कार्ड विवरण, पते जैसे विवरण शामिल होंगे। ,

ङ. हैंडहोल्डिंग एजेंसियों को सूचीबद्ध किया जाएगा और नमस्ते स्कीम के लक्ष्य समूह को ऋण प्रदान करने के उनके प्रयासों के लिए परियोजना लागत का 1% प्रदान किया जाएगा।

(ii) **सीवरों और सेप्टिक टैंकों की परिसंकटमय सफाई पर कार्यशालाएँ:** एसआरएमएस के अंतर्गत नगर पालिकाओं में सीवरों और सेप्टिक टैंकों की परिसंकटमय सफाई की रोकथाम पर कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं। इन कार्यशालाओं के दौरान, अधिकारियों, स्वच्छता इंजीनियरों/निरीक्षकों, ठेकेदारों और कर्मियों को “हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013” के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के बारे में और विशेष रूप से सुरक्षा गियर तथा सीवरों एवं सेप्टिक टैंकों की सफाई के लिए अपनाई जाने वाली सुरक्षा सावधानियों के बारे में जागरूक किया जाता है। एसएसडब्ल्यू के साथ कार्यशालाएं आयोजित की जाती रहेंगी, जिसमें जन प्रतिनिधियों, मॉल, होटल, अस्पताल,



आरडब्ल्यू आदि और उनके प्रतिष्ठानों में सेप्टिक टैंक वाले अन्य सार्वजनिक स्थानों के प्रतिनिधित्व शामिल होंगे। एनएसकेएफडीसी अपनी सूचीबद्ध एजेंसियों के माध्यम से इन कार्यशालाओं का आयोजन करेगा।

3.6.3 एसआरएमएस के निम्नलिखित मौजूदा घटकों को चिन्हित मैनुअल स्केवेंजर्स और उनके आश्रितों के पुनर्वास के लिए लागू किया जाना जारी रहेगा: -

- (i) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (एनएसकेएफडीसी) द्वारा समय-समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों की पात्रता मानदंडों के अधीन, चिन्हित मैनुअल स्केवेंजर्स और उनके आश्रितों के, जो प्रशिक्षण के इच्छुक हैं और 18 वर्ष से अधिक आयु के हैं, उन्हें आयोजित ऐसे प्रशिक्षणों की सूची से उनकी पसंद का कौशल प्रशिक्षण निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। एनएसकेएफडीसी द्वारा 3000/- (केवल तीन हजार रूपए) का मासिक वजीफा अथवा ऐसी कोई भी राशि जो समय-समय पर तय की जा सकती है, प्रशिक्षण कार्यक्रम के अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम में निर्धारित न्यूनतम उपस्थिति, अन्य नियम एवं शर्तों को पूरा करने के अधीन संपूर्ण प्रशिक्षण अवधि के लिए सीधे प्रशिक्षु के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।
- (ii) इस स्कीम के अंतर्गत चिन्हित मैनुअल स्केवेंजर्स और स्वच्छता कर्मियों एवं उनके आश्रितों को अधिकतम 15 लाख रूपए तक की परियोजना लागत के लिए 5.00 लाख रूपए की पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की जाएगी। तथापि, स्वयं सहायता समूहों/ समूहों की परियोजनाओं के लिए अधिकतम 50 लाख रूपए की परियोजना लागत के लिए 18.75 लाख रूपए की पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इस परियोजना में सामान्य परियोजनाओं के साथ-साथ स्वच्छता संबंधित परियोजनाएं भी शामिल होंगी। स्वच्छता संबंधित परियोजनाओं के लिए इस स्कीम के अंतर्गत मैनुअल स्केवेंजर्स के अलावा एसएसडब्ल्यू, स्वच्छता कर्मियों और उनके आश्रित भी सहायता के लिए पात्र होंगे जबकि मैनुअल स्केवेंजर और उनके आश्रित स्व-रोजगार परियोजनाओं (सामान्य परियोजनाएं) के लिए पात्र होंगे।



- (iii) मैनुअल स्केवेंजरो/आश्रित लाभार्थियों के पास किसी भी व्यवहार्य आय सृजित स्व-रोजगार परियोजना का चयन करने का विकल्प है। लाभार्थियों पर परियोजनाएं थोपी नहीं जाएंगी, बल्कि परियोजना के चयन में उनकी रुचि, अनुभव और पसंद को उचित महत्व दिया जाएगा। लाभार्थियों द्वारा चुनी जा सकने वाली परियोजनाओं की एक सांकेतिक सूची **अनुबंध-1** में दी गई है।
- (iv) ऋण के पुनर्भुगतान की अवधि जिसमें 5,00,000 रुपए तक की परियोजना के लिए 5 वर्ष की अधिस्थगन अवधि होगी तथा 5,00,000 रुपए से अधिक की परियोजनाओं के लिए अधिस्थगन अवधि 7 वर्ष होगी, पुनर्भुगतान 6 माह से आरंभ होगा।
- (v) लाभार्थियों को हैंडहोल्डिंग एजेंसियों द्वारा वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने के लिए स्व-रोजगार परियोजना प्रस्तावों को तैयार करने और उन्हें प्रस्तुत करने में सहायता प्रदान की जाएगी, जिन्हें उन परियोजनाओं की परियोजना लागत का 1% प्रदान किया जाएगा जिनके विरुद्ध लाभार्थियों को वास्तव में वितरित किया गया है।
- (vi) लाभार्थियों को क्रेडिट लिंक्ड अप फ्रंट कैपिटल सब्सिडी निम्न प्रकार से बड़े पैमाने पर प्रदान की जाएगी:

| परियोजना लागत का रेंज (रु.) | सब्सिडी की दर |
|---|---|
| व्यक्तियों के लिए | |
| 5,00,000 रु. तक | परियोजना लागत का 50% |
| 5,00,000 से 15,00,000 | 2.5 लाख रुपए+ शेष परियोजना लागत का 25% |
| समूह परियोजनाओं के लिए : | |
| 50,00,000 रुपए तक की अधिकतम परियोजना लागत के लिए 10,00,000 रुपए प्रति लाभार्थी तक | व्यक्ति विशेष को अनुमत्य के अनुसार प्रति लाभार्थी अधिकतम 3.75 लाख रुपए के अध्यक्षीन |



(vii) जिन लाभार्थियों ने पहले के ऋणों को सफलतापूर्वक चुका दिया है वे बाद में ऋण के लिए पात्र हैं।

3.7 पीएसएसओ का पैनेल बनाना: आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय सीवर और सेप्टिक टैंकों की सफाई की सेवाएं प्रदान करने वाले नए अथवा मौजूदा पीएसएसओ की प्रोफाइलिंग करेगा, जो स्थानीय सरकारी एजेंसी, यूएलबी, अथवा पैरास्टेटल एजेंसियों (जैसे स्थानीय विकास प्राधिकरण, छावनी बोर्ड, जल बोर्ड पीडब्ल्यूडी आदि) के साथ सूचीबद्ध हैं। केवल सूचीबद्ध सेवा प्रदाता ही सेप्टिक टैंक, मशीन होल और सीवर लाइनों की सफाई के लिए सेवाएं प्रदान करने के लिए अधिकृत होंगे। इन सेवा प्रदाताओं का विवरण आम जनता के लिए नमस्ते पोर्टल पर भी उपलब्ध होगा।

(i) **एसएसडब्ल्यू की प्रोफाइलिंग:** यूएलबी और पैरास्टेटल एजेंसियां उनके अथवा पीएसएसओ द्वारा नियोजित एसएसडब्ल्यू की सूची बनाएंगी। सूचीबद्ध एसएसडब्ल्यू को यूएलबी द्वारा आयोजित प्रोफाइलिंग शिविरों के दौरान उनके आश्रितों के विवरण और विभिन्न पात्रताओं तक पहुंच सहित अतिरिक्त जानकारी के साथ सत्यापित किया जाएगा। नमस्ते स्कीम के कार्यान्वयन के लिए एक मजबूत आधार विकसित करने हेतु एसएसडब्ल्यू प्रोफाइल के इस डाटाबेस का निर्माण करना महत्वपूर्ण है। एसएसडब्ल्यू की पूरी प्रोफाइल नमस्ते पोर्टल पर उपलब्ध होगी। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अनुसार, 5 लाख की आबादी पर 100 स्वच्छता कर्मी हैं। वर्ष 2021 तक शहरी जनसंख्या (अनुमानित) लगभग 50 करोड़ है (जनगणना वर्ष 2011 की जनसंख्या और दशकीय वृद्धि दर का उपयोग करके की गई है)। इस प्रकार, अनुमान है कि इस प्रक्रिया में कुल 1,00,000 एसएसडब्ल्यू की पहचान की जाएगी। यह आंकड़ा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, एनएसकेएफडीसी, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (डीएवाई-एनयूएलएम और एसबीएम 2.0 सहित), एनएचए और एमएसडीई को एसएसडब्ल्यू और उनके आश्रितों तक पहुंचने और उन्हें सामूहिकता, कौशल निर्माण और सामाजिक एवं वित्तीय लाभों से जोड़ने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करने में सक्षम करेगा। प्रोफाइलिंग शिविरों के आयोजन के लिए यूएलबी को



प्रोफाइल किए गए प्रति 25 एसएसडब्ल्यू के लिए 2000/- रूपए की सहायता प्रदान की जाएगी।

- (ii) **स्वास्थ्य बीमा स्कीम के लाभों का विस्तार:** एसएसडब्ल्यू, अपने काम की परिसंकटमय प्रकृति के कारण, बीमारी से जूझते हैं। इसके अतिरिक्त, वे समाज के सबसे निचले सामाजिक-आर्थिक स्तर से आते हैं, जिनके पास अप्रत्याशित स्वास्थ्य संकट से निपटने के लिए बहुत कम संसाधन हैं, जो परिसंकटमय कार्य वातावरण में काम करने से उत्पन्न हो सकते हैं। कर्मियों और उनके परिवारों को बीमार पड़ने अथवा किसी दुर्घटना का शिकार होने की स्थिति में सुरक्षा नेट प्रदान करने के लिए, एसएसडब्ल्यू और उनके परिवार के सदस्यों के अलावा, चिन्हित मैनुअल स्केवेंजर्स और उनके परिवार के सदस्यों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएम-जेएवाई) के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा कवर किया जाएगा। एक बार जब एसएसडब्ल्यू का आंकड़ा यूएलबी/आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा उपलब्ध किया जाएगा, तो उन्हें सहायता प्रदान करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। एनएचए डी-डुप्लीकेशन का अभ्यास करेगा और केवल बचे हुए मैनुअल स्केवेंजर्स और एसएसडब्ल्यू को नमस्ते स्कीम के अंतर्गत यह लाभ प्रदान किया जाएगा। नमस्ते स्कीम के लाभार्थियों को स्वास्थ्य बीमा लाभ का विस्तार पीएम-जेएवाई घटक के अंतर्गत उनके कवरेज पर व्यय विभाग के निर्देशों के अधीन होगा।
- (iii) **आजीविका परामर्श और सहायता:** यह स्कीम मशीनीकरण और उद्यम विकास को बढ़ावा देगी। एनएसकेएफडीसी सफाई कार्यों के कुल मशीनीकरण के लिए एसयूवाई के अंतर्गत स्वच्छता उपकरण और वाहनों की खरीद के लिए मैनुअल स्केवेंजर्स और उनके आश्रितों सहित स्वच्छता कर्मियों को व्यक्तिगत अथवा समूह के रूप में निधियों की सहायता और पूंजी सब्सिडी प्रदान करेगा। सब्सिडी के बारे में विवरण पहले ही ऊपर पैरा 3.6.2(i) में दर्शाया गया है। स्कीम के अंतर्गत लाभार्थियों को पूंजीगत सब्सिडी के साथ ऋण प्राप्त करने के लिए सूचीबद्ध एजेंसियों के माध्यम से सहायता भी प्रदान की जाएगी। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी ऋणधारकों के पास आधार से जुड़े बैंक खाते हों।
- (iv) **ईआरएसयू के सुदृढीकरण के लिए प्रशिक्षण:** नमस्ते स्कीम सभी ईआरएसयू कर्मचारियों और एसएसडब्ल्यू के प्रशिक्षण के लिए योग्यता-आधारित दृष्टिकोण



अपनाएगा, वैश्विक मानकों से मेल खाते हुए सिमुलेशन/वीडियो-आधारित प्रशिक्षण, व्यावहारिक मूल्यांकन और प्रमाणन प्रदान करने के लिए इकोसिस्टम तैयार करेगा। ऐसे प्रशिक्षण की लागत नमस्ते स्कीम की निधियों से पूरी नहीं की जाएगी, लेकिन पीएमकेवीवाई 4.0 के अंतर्गत एमएसडीई द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे। जैसा कि आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा ईआरएसयू परामर्शिका में निर्धारित किया गया है, केवल एसईपी के रूप में नामित कुशल और प्रमाणित एसएसडब्ल्यू ही विशेष मामलों में सेप्टिक टैंक, मशीन होल और सीवर लाइनों की मैन्युअल सफाई करेंगे। जबकि एसएसडब्ल्यू का व्यावसायिक प्रशिक्षण नमस्ते के अंतर्गत एमएसडीई द्वारा किया जाएगा, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय आवश्यक सुरक्षा उपकरणों के साथ, एमएस अधिनियम 2013 और एमएस नियमावली, 2013 के प्रावधानों तथा मशीनीकृत सफाई के लिए उनके द्वारा निर्धारित एसओपी के अनुसार आपातकालीन स्थितियों में सीवर तथा सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए एसईपी तथा एसआरयू के कर्मचारियों को विशिष्ट प्रशिक्षण प्रदान करेगा। नमस्ते के अंतर्गत एमडीएसई के व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाले प्रशिक्षुओं को आधार प्रमाणित भुगतान प्रणाली पर, पीएफएमएस पर डीबीटी के माध्यम से, एनएसकेएफडीसी द्वारा सीधे प्रति उम्मीदवार 500/- रुपये की दर से वजीफा उपलब्ध कराया जाएगा। एमएसडीई पोर्टल पर उपलब्ध प्रशिक्षित उम्मीदवारों के आंकड़ों का उपयोग वजीफा के भुगतान के लिए किया जाएगा।

- (v) **एसएसडब्ल्यू के लिए पीपीई का प्रावधान:** नमस्ते स्कीम का उद्देश्य एसएसडब्ल्यू को आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के विनिर्देशों के अनुसार दस्ताने, बॉडी सूट, सुरक्षित जूते, मास्क, सुरक्षा चश्मे आदि से युक्त पीपीई किट उपलब्ध कराके उनकी व्यावसायिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है। विभिन्न जोखिमों के लगातार संपर्क में रहने के कारण अधिकांश एसएसडब्ल्यू श्रमिक तथा त्वचा रोगों से पीड़ित हैं। पूरे वर्ष पीपीई किट की उपलब्धता उन्हें श्रमिक और त्वचा रोगों से बचाएगी तथा उनके स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव डालेगी। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रयासों और कवरेज का दोहराव न हो। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के विनिर्देशों के अनुसार भारत सरकार की प्रापण प्रक्रिया के अनुसार जेम के माध्यम से पीपीई किट खरीदी जाएंगी। एक बार एसएसडब्ल्यू का आंकड़ा यूएलबी/आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा उपलब्ध



कराए जाने और व्यावसायिक प्रशिक्षण पूरा होने के बाद, उन्हें सहायता प्रदान करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। मशीनीकृत सफाई कार्य करने वाले सतही सफाई स्वच्छता कर्मचारियों के लिए पीपीई किट यूएलबी के माध्यम से एमओएसजेई द्वारा प्रति लाभार्थी 4000/- रुपये की दर से प्रतिपूर्ति के आधार पर उपलब्ध कराई जाएगी। जबकि, आपातकालीन स्थितियों में हाथ से सफाई करने वाले गहन सफाई स्वच्छता कर्मचारी आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे।

(vi) **यूएलबी को सुरक्षा उपकरणों का प्रावधान:** एमएस नियमावली, 2013 केवल विशेष मामलों में यूएलबी के सीईओ की अनुमति से सीवर और सेप्टिक टैंक की हाथ से सफाई का प्रावधान करता है। इसे ध्यान में रखते हुए, प्रमुख यूएलबी में आपातकालीन स्वच्छता प्रतिक्रिया इकाइयां स्थापित की जा रही हैं, ईआरएसयू को सीवरों की हाथ से सफाई के लिए आवश्यक सुरक्षा उपकरणों की आवश्यकता है। इसलिए, यह स्कीम ब्लोअर के लिए एयर कंप्रेसर, वायु शुद्ध गैस मास्क, सांस लेने वाला मास्क, श्वास उपकरण, आपातकालीन चिकित्सा ऑक्सीजन किट, गैस मोटर, फुल बॉडी वेडर सूट, जूते के साथ फिशिंग वेडर सूट, हेड लैंप, हेलमेट, सेफ्टी बेल्ट, सेफ्टी बॉडी क्लोथिंग, सेफ्टी बॉडी हार्नेस, सेफ्टी गॉगल्स, सेफ्टी बेल्ट के साथ ट्राइपॉड आदि जैसे सुरक्षा उपकरण 2,00,000/- रुपये की लागत तक ईआरएसयू को सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान होने वाली मौतों को रोकने के लिए प्रतिपूर्ति के आधार पर (कार्यात्मक हेल्पलाइन नंबर वाली एसएसडब्ल्यू की पूर्ण प्रोफाइलिंग होना और व्यावसायिक प्रशिक्षण वाले आरएसए की नियुक्ति के बाद) उपलब्ध कराएगी। सीवरों की आपातकालीन सफाई के लिए देश में लगभग 1000 एसआरयू स्थापित किए जाने की संभावना है।

(vii) **आईईसी अभियान:** यूएलबी और एनएसकेएफडीसी द्वारा एसएसडब्ल्यू के स्वास्थ्य और सुरक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने और केवल सूचीबद्ध पीएसएसओ के माध्यम से सेवाओं का लाभ उठाने के लिए संयुक्त रूप से अभियान चलाया जाएगा। प्रचार के लिए स्थानीय भाषा और अंग्रेजी/हिंदी में इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट मीडिया और प्रमुख स्थानों पर होर्डिंग्स का उपयोग किया जाएगा। घरों / नागरिकों / आरडब्ल्यूए / मॉल मालिकों / अस्पतालों / होटलों / ठेकेदारों को सीवर/सेप्टिक टैंकों की रुकावट को दूर करने के लिए ईआरएसयू/पैनल में शामिल पीएसएसओ की सेवाओं का उपयोग करने और इस उद्देश्य के लिए किसी भी अनधिकृत एजेंसियों अथवा




अप्रशिक्षित कर्मियों को सम्मिलित न करने के लिए शिक्षित करने हेतु आउटरीच कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे। जागरूकता अभियान लोगों को सीवर और सेप्टिक टैंकों की खतरनाक हाथ की सफाई में व्यक्तियों को सम्मिलित करने के लिए एमएस अधिनियम 2013 के तहत दंडात्मक प्रावधानों के बारे में भी शिक्षित करेगा। वर्तमान में, आयोजित की जा रही सीवर और सेप्टिक टैंकों की खतरनाक सफाई पर कार्यशालाएँ आयोजित की जाती रहेंगी। स्कीम की कुल लागत का 5% तक का उपयोग आईईसी अभियान के लिए किया जा सकता है।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा यूएलबी में और पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा ग्रामीण/परिधीय क्षेत्रों में आईईसी अभियान चलाया जाएगा।


(viii) **आईटी अवसंरचना:** यूएलबी स्तर पर सूचीबद्ध सेवा प्रदाताओं और एसएसडब्ल्यू के आंकड़ों को प्रदर्शित करने तथा यूएलबी द्वारा लक्ष्यों और उपलब्धियों पर ध्यान देने के लिए नमस्ते स्कीम के कार्यान्वयन की निगरानी हेतु राष्ट्रीय स्तर पर नमस्ते पोर्टल क्रियान्वित किया जाएगा। नमस्ते स्कीम के बजट शीर्ष के अंतर्गत जीएफआर के प्रावधानों तथा भारत सरकार के अन्य निर्देशों के अनुपालन में व्यय किया जाएगा।

(ix) वर्ष 2023-24 से 2025-26 के दौरान स्थायी वित्त समिति द्वारा अनुमोदित वास्तविक और वित्तीय लक्ष्य:-

| क्र. सं. | घटक | वास्तविक | | | | निधियों की आवश्यकता (रुपए करोड़ में) | | | | प्रति इकाई लागत (रुपये) | इकाई | पूर्वानुमान |
|-------------------|--|--------------|--------------|--------------|-------|--------------------------------------|--------------|---------|--------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| | | वर्ष 2023-24 | वर्ष 2024-25 | वर्ष 2025-26 | Total | वर्ष 2023-24 | वर्ष 2024-25 | 2025-26 | कुल | | | |
| नमस्ते घटक | | | | | | | | | | | | |
| 1 | एसएसडब्ल्यू की प्रोफाइलिंग | 4000 | 300 | 200 | 4500 | 0.8 | 0.06 | 0.04 | 0.9 | 2000 | प्रोफाइलिंग शिविर | प्रति शिविर औसत 25 स्वच्छता कर्मियों |
| 2 | सुरक्षा उपकरण | 500 | 521 | 0 | 1021 | 10 | 10.42 | 0 | 20.42 | 200000 | सुरक्षा उपकरणों के लिए सहायता | 1021 एसआरयू स्थापित किए जाने हैं। |
| 3 | एसएसडब्ल्यू द्वारा पीपीई किट सतह की सफाई | 2000 0 | 3000 0 | 4000 0 | 90000 | 8 | 12 | 16 | 36.00 | 4,000 | पीपीई किट के प्रति सेट की लागत | |
| 4 | स्वच्छता कर्मियों को | 675 | 1000 | 1500 | 3175 | 25.31 | 37.50 | 56.25 | 119.06 | 375000 | औसत पूंजी सविसडी रु. | औसत परियोजना |



| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-----------|---|--|
| | मशीनीकृत सफाई उपकरणों/मशीनों का प्रावधान (आधार से जुड़े बैंक खातों के साथ) | | | | | | | | | | प्रति परियोजना | लागत 10,00,000/- रु. |
| 5 | पूंजीगत सब्सिडी के साथ ऋण प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों को पूर्ण सहायता प्रदान करना | 675 | 1000 | 1500 | 3175 | 0.68 | 1.00 | 1.50 | 3.18 | 1000000 | परियोजना लागत का 1% | औसत परियोजना लागत 10,00,000/- रु. |
| 6 | एसएसडब्ल्यू और परिवार का स्वास्थ्य बीमा कवरेज | 60000 | 60000 | 60000 | 180000 | 20.40 | 18.90 | 18.90 | 58.20 | 3400/3150 | * एनएचए के अनुमान के अनुसार 3% बीमा किए गए व्यक्तियों को अस्पताल में भर्ती सेवाओं का लाभ उठाने की आवश्यकता होती है और प्रति व्यक्ति औसत दावा 20,000/- रुपये है। | चिन्हित किए अनुमानित 1,00,000 एसएसडब्ल्यू में से 60000 एसएसडब्ल्यू के परिवारों को कवर किए जाने की संभावना है। (60000 x 5 (परिवार के सदस्य)*3% (अस्पताल में भर्ती होने की दर)*20000 रुपये (औसत दावा राशि) |
| 7 | भूतल एसएसडब्ल्यू का क्षमता निर्माण व्यावसायिक प्रशिक्षण | 20000 | 30000 | 40000 | 90000 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 4.50 | 500 | प्रति लाभार्थी वजीफा की राशि प्रशिक्षण लागत एमएसडीई द्वारा वहन की जाएगी। | सभी चिन्हित सतही सफाई एसएसडब्ल्यू को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा |
| 8 | कार्यशालाएं | 500 | 500 | 500 | 1500 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 20000 | प्रति कार्यशाला लागत | |
| 9 | एमआईएस: नमस्ते पोर्टल का विकास और रखरखाव | | | | | 1.00 | 0.25 | 0.25 | 1.50 | | | |
| एसआरएमएस सतत घटक | | | | | | | | | | | | |



| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-----------|---|---|
| 10 | पीएम-जेएवाई के अंतर्गत मैनुअल स्केवेंजर्स का स्वास्थ्य बीमा कवरेज | 50000 | 50000 | 50000 | 150000 | 17.00 | 15.75 | 15.75 | 48.50 | 3400/3150 | | 50,000 एमएस परिवारों को कवर किए जाने की संभावना है। |
| 11 | चिन्हित मैनुअल स्केवेंजर्स और उनके आश्रितों का कौशल विकास प्रशिक्षण | | | | | | | | | | प्रति उम्मीदवार औसत प्रशिक्षण लागत | |
| | | 2000 | 2000 | 2000 | 6000 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 25000 | | |
| 12 | एमएस और उनके आश्रितों को स्व-रोजगार परियोजनाओं के लिए पूंजीगत सब्सिडी | | | | | | | | | | औसत पूंजी सब्सिडी रु. प्रति प्रोजेक्ट | औसत परियोजना लागत रु. 2,00,000/ |
| | | 200 | 200 | 200 | 600 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 6.00 | 100000 | | |
| 13 | पूंजीगत सब्सिडी के साथ ऋण प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों को पूर्ण सहायता प्रदान करना | | | | | | | | | | परियोजना लागत का 1% | औसत परियोजना लागत रु. 2,00,000/ |
| | | 200 | 200 | 200 | 600 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.12 | 200000 | | |
| अन्य प्रशासनिक व्यय | | | | | | | | | | | | |
| 14 | आईईसी अभियान | | | | | 4.85 | 5.55 | 6.25 | 16.65 | | | अन्य लागत का 5% |
| 15 | पीएमयू की रियुक्ति (लगभग 2.5%) | 55 | 55 | 55 | 55 | 2.42 | 3.63 | 3.63 | 9.68 | 55000 | 5 क्षेत्रीय पीएमयू सहित 55 पीएमयू (बड़े राज्यों में एक से अधिक पीएमयू और छोटे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए सामान्य पीएमयू के प्रावधान के साथ) | नमस्ते स्कीम के कार्यान्वयन की पूरी अवधि के लिए |
| 16 | अध्ययन और मूल्यांकन सहित प्रशासनिक | | | | | 2.03 | 2.34 | 2.62 | 6.99 | | | अन्य लागत का 2% |



| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|------------|------------|------------|------------|--|--|--|--|
| और अनधिक व्यय | | | | | | | | | | | |
| कुल: नमस्ते स्कीम | | | | 101.5 3 | 116.9 4 | 131.2 3 | 349.7 0 | | | | |

(x) स्कीम की निगरानी और मूल्यांकन: सचिव, एमओएसजेई की अध्यक्षता में निम्नलिखित प्रतिनिधियों के साथ एक समन्वय समिति होगी:

- क. वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार/स्कीम के ब्यूरो प्रमुख, एमओएसजेई
- ख. संयुक्त सचिव एवं आर्थिक सलाहकार, एमओएसजेई
- ग. सलाहकार, नीति आयोग
- घ. संयुक्त सचिव (एसबीएम), आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
- ड. संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवा विभाग
- च. राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी
- छ. डीपीआईआईटी के संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी
- ज. डीओडीडब्ल्यूएस के संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी
- झ. एमएसडीई के संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी
- ञ. एमडी, एनएसकेएफडीसी (संयोजक)

समन्वय समिति नमस्ते स्कीम के कार्यान्वयन की निगरानी करेगी, तथा राष्ट्रीय, राज्य और शहरी स्तरों पर अभिसरण कार्रवाई के लिए क्षेत्रों का पता लगाने के लिए अन्य मिशनों/मंत्रालयों/विभागों/उद्योग संघों के साथ संपर्क करेगी। समन्वय समिति समय-समय पर मैनुअल स्कैवेंजर्स और सीवर सेप्टिक टैंक श्रमिक की सुरक्षा के संबंध में सुझाव भी देगी।

इसके अलावा, इसके कार्यान्वयन के लिए किए जाने वाले कार्यकलापों की त्रैमासिक निगरानी के लिए केंद्र, राज्य और जिला स्तर पर तीन स्तरीय कार्य समूह होंगे। ये कार्य समूह इस प्रकार होंगे:

| क्र.सं. | केन्द्रीय | राज्य | जिला |
|---------|--------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार/स्कीम के | मिशन निदेशक, नमस्ते | निदेशक, समाज कल्याण |



| | | | |
|---|--|--|--|
| | ब्यूरो प्रमुख (एसजेई) अध्यक्ष | | |
| 2 | संयुक्त सचिव (एसबीएम), आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय | सचिव, शहरी विकास | जिले की सबसे बड़ी यूएलबी के सीईओ |
| 3 | पेयजल और स्वच्छता विभाग के संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी | सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता (ग्रामीण स्वच्छता के प्रभारी) | निदेशक, ग्रामीण विकास |
| 4 | एमओएसजेई के निदेशक, एनआईसी | नमस्ते नोडल अधिकारी | नमस्ते के लिए नोडल अधिकारी यूएलबी |
| 5 | निदेशक, आईएफडी एमओएसजेई | संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति | प्रबंधक, जिला अग्रणी बैंक |
| 6 | निदेशक, शहरी प्रबंधन केंद्र | राज्य पीएमयू | पुलिस विभाग का प्रतिनिधि, पुलिस उपाधीक्षक के पद से नीचे का नहीं |
| 7 | राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण से संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी | सचिव, स्वास्थ्य | जिले का सिविल सर्जन |
| 8 | एमएसडीई के संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी | सचिव, कौशल विकास | निदेशक, कौशल विकास |
| 9 | एमडी, एनएसकेएफडीसी संयोजक | एमडी, एसकेएफडीसी अथवा अन्य राज्य निगम जिन्हें सफाई कर्मचारियों | राज्य निगम के जिला नोडल अधिकारी -संयोजक |



| | | | |
|--|--|---|--|
| | | का कार्य सौंपा गया है -संयोजक | |
|--|--|---|--|

स्कीम के कार्यान्वयन के दौरान मध्यावधि सुधारों को प्रभावित करने तथा स्कीम को इसके प्रमुख उद्देश्यों की प्राप्ति के अनुरूप बनाने के लिए स्कीम का मूल्यांकन किया जाएगा। इन कार्यकलापों की लागत नमस्ते स्कीम के प्रशासनिक और अनधिक व्यय (ए एंड ओई) घटक के अंतर्गत पूरी की जाएगी।

(xi) राज्य नमस्ते समन्वयक: राज्य सरकार द्वारा नामित राज्य नमस्ते निदेशक/नोडल अधिकारी को राज्य नमस्ते समन्वयक (एसएनसी)/परियोजना प्रबंधक द्वारा सहायता उपलब्ध कराई जाएगी, जिसे भारत सरकार द्वारा स्कीम के अंतर्गत निर्धारित निबंधन और शर्तों के अनुसार राज्य नमस्ते निदेशकों/नोडल अधिकारियों द्वारा नियुक्त किया जाएगा। उन्हें स्थानीय यात्रा सहित 55,000/- रुपए एकबारगी मासिक पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा। परियोजना प्रबंधकों को अपने स्वयं के स्मार्ट फोन और लैपटॉप को कार्यरत स्थिति में व्यवस्थित करना होगा जिसके लिए कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा। राज्य परियोजना प्रबंधकों को राज्य नमस्ते निदेशक/नोडल अधिकारी के साथ संबद्ध किया जाएगा, जो उनके बैठने की व्यवस्था करेंगे, जिसके लिए कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा। तथापि, एसएनसी/कार्यक्रम प्रबंधक को पारिश्रमिक का भुगतान मासिक आधार पर राज्य नमस्ते निदेशक/नोडल अधिकारी द्वारा प्रमाणित संतोषजनक प्रदर्शन और उपस्थिति होने पर नमस्ते की निधियों से किया जाएगा।

3.8 कार्यान्वयन मशीनरी:

- (i) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (एनएसकेएफडीसी) जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, नमस्ते स्कीम के लिए कार्यान्वयन एजेंसी होगा। यह स्कीम एमओएसजेई तथा आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की समर्पित राष्ट्रीय टीम के साथ संयुक्त पहल



- के रूप में प्रचालन संचालित होगी। जैसा कि ऊपर पैरा 3.7(x) में दर्शाया गया है, स्कीम के कार्यान्वयन की निगरानी तीन स्तरीय कार्य समूह द्वारा की जाएगी।
- (ii) यूएलबी द्वारा मोबाइल ऐप और समर्पित नमस्ते एमआईएस पोर्टल के माध्यम से वास्तविक समय आधार पर निगरानी और रिपोर्टिंग की जाएगी।
 - (iii) राज्य स्तर पर, प्रत्येक राज्य निदेशक, नगर प्रशासन/मिशन निदेशक एसबीएम-शहरी, अथवा किसी अन्य उपयुक्त अधिकारी को निदेशक नमस्ते के रूप में कार्य करने के लिए नामित करेगा।
 - (iv) शहरी स्तर पर, यूएलबी नमस्ते के कार्यान्वयन के लिए एक उपयुक्त अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में नामित करेगा, जो एनएसकेएफडीसी और राज्य नोडल अधिकारी के साथ समन्वय करेगा।
 - (v) कार्यान्वयन अवधि: नमस्ते योजना वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2025-26 तक तीन वर्षों के लिए कार्यान्वित की जाएगी। इसके बाद एमओएसजेई और आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा किए गए मूल्यांकन के आलोक में तथा सुझावों को स्कीम में सम्मिलित करने के बाद इसे जारी रखा जा सकता है।

4. पूर्ववर्ती एसआरएमएस के अंतर्गत घटकों के अनुसार अन्य पुनर्वास लाभ:

- (i) विभिन्न अन्य मंत्रालयों आदि की मौजूदा स्कीमों, जैसे कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, श्रम और रोजगार, जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, जिला उद्योग केंद्र, ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई), राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम), राष्ट्रीय प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) आदि का लाभार्थियों को प्रशिक्षण देने के लिए इष्टतम उपयोग किया जाएगा। इसके अलावा, लाभार्थियों के प्रशिक्षण के लिए एसआरएमएस के अंतर्गत तैयार किए गए राष्ट्रीय और राज्य विशिष्ट प्रशिक्षण ढांचे, प्रत्येक लाभार्थी के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम के चयन के लिए मार्गदर्शक दस्तावेज होंगे।

5. एमएसडीई समय-समय पर अपनी सूचीबद्ध एजेंसियों के माध्यम से पीएमकेवीवाई 4.0 के अंतर्गत स्वच्छता कार्यकर्ताओं के आवास/कार्यस्थल के निकट केंद्रों पर पहचाने



गए एसएसडब्ल्यू के लिए व्यावसायिक सुरक्षा प्रशिक्षण का आयोजन सुनिश्चित करेगा ताकि उन्हें इसके बारे में जागरूक किया जा सके:-

- (i) सुरक्षात्मक गियर के साथ सीवर सैप्टिक टैंकों की मशीनीकृत सफाई का प्रशिक्षण।
- (ii) सुरक्षित और स्वस्थ सफाई प्रथाएँ
- (iii) एमएस अधिनियम, 2013 के प्रावधान और उसके तहत बनाए गए नियम
- (iv) डिजिटल साक्षरता
- (v) व्यक्तित्व विकास और व्यक्तिगत स्वच्छता
- (vi) सामाजिक व्यवहार आदि।

5.1 एनएसकेएफडीसी उपर्युक्त पैरा संख्या 3.6.3 में उल्लिखित लागू दरों के अनुसार प्रशिक्षुओं को वजीफा उपलब्ध कराएगा।

6 चिन्हित मैनुअल स्कैवेंजर्स/एसएसडब्ल्यू और उनके परिवार जो अभी तक कवर नहीं हुए हैं, उन्हें परिवार के मानदंडों और परिभाषा के अनुसार आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेवाई) के अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाएगा (जैसा कि पैरा 2 (iii) (ख) में परिभाषित किया गया है)।

7. यह स्कीम सीएनए तंत्र के माध्यम से कार्यान्वित की जाएगी और नमस्ते के अंतर्गत निधि का प्रवाह केवल पीएमएमएस तंत्र के माध्यम से होगा। सभी स्तरों पर स्कीम की कार्यान्वयन एजेंसियों को पीएमएमएस पर शामिल किया जाना चाहिए और ईएटी/आरईएटी मॉड्यूल का उपयोग किया जाएगा।

8. स्कीम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित विशेष प्रावधान किए गए हैं:

(i) मैनुअल स्कैवेंजर्स और उनके आश्रितों (पैरा सं. 2(iii) से 2(vi) में यथा परिभाषित) को ऋण प्रदान करने के लिए सभी संबंधित बैंकों को दिशा-निर्देश जारी करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को परामर्शिका जारी करने हेतु वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय आवश्यक कार्रवाई कर सकता है। बैंकों को आवेदन की प्राप्ति से तीन माह की अवधि के भीतर ऋण



आवेदनों को समयबद्ध तरीके से निपटाने के लिए भी सलाह दी जानी चाहिए। यदि ऐसा संभव न हो तो वे ईमेल के माध्यम से लिखित में एनएसकेएफडीसी को कारण बता सकते हैं।

(ii) अटल पेंशन योजना, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना और पीएम सुरक्षा बीमा योजना आदि जैसी सामाजिक सुरक्षा स्कीमों की संतृप्ति के लिए एनएसकेएफडीसी द्वारा चिन्हित मैनुअल स्केवेंजर और एसएसडब्ल्यू के आंकड़ों को वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय के साथ साझा किया जाएगा।

(iii) चिन्हित मैनुअल स्केवेंजरों, सफाई कर्मचारियों और उनके आश्रितों द्वारा मशीनीकृत सफाई और संबंधित सफाई परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने के लिए शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) से अनुरोध किया जाएगा कि वे उन्हें मशीनीकृत सफाई कांट्रैक्ट प्रदान करें और संबंधित बैंकों को जॉब गारंटी भी जारी करें।

(iv) उपयुक्त स्व-रोजगार उद्यमों को आरंभ करने और ऋण प्राप्त करने तथा स्व-उद्यम स्थापित करने के लिए संबंधित एजेंसियों से संपर्क करने के लिए लाभार्थियों को क्षमता निर्माण सहायता प्रदान करने हेतु प्रख्यात एनजीओ और अन्य एजेंसियों के माध्यम से लक्षित समूह के हैंड होल्डिंग के प्रबंध किए जाएंगे।

(v) लाभार्थियों को दी गई सब्सिडी की निगरानी के लिए एनएसकेएफडीसी उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा। परियोजना की व्यवहार्यता तथा मूल्यांकन के लिए बैंक और राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियां उत्तरदायी होंगी।

(vi) लक्षित समूह को बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों को संबंधित ऋण गारंटी तंत्र के अंतर्गत कवर किया जाएगा।

(vii) प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा लक्षित समूहों के लिए उपलब्ध अन्य लाभों के बारे में लक्षित समूह के मध्य जागरूकता निर्माण के लिए एनएसकेएफडीसी द्वारा समय-समय पर जागरूकता शिविरों सहित आईईसी अभियान आयोजित किए जाएंगे। आईईसी अभियान के लिए सोशल मीडिया प्लेटफार्म का उपयोग किया जा सकता है।

9. लाभार्थियों द्वारा अपनी अन्य आवश्यकताओं के लिए निधियों के विपथन से संबंधित शिकायतों पर इस संबंध में बैंकों/वित्तीय संस्थाओं की ऋण नीति के अनुसार बैंक उन पर



कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा, ऐसे लाभार्थियों को प्रति वर्ष 9 प्रतिशत दंडनीय ब्याज के साथ सब्सिडी की पूरी राशि का भुगतान करना होगा और वह स्कीम के अंतर्गत भविष्य में किसी भी सहायता के लिए अपात्र होगा।

10. यूएलबी/शहरी नमस्ते प्रबंधक, लाभार्थियों और बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के मध्य समन्वयकों का कार्य करेंगे और ऋणों के समय से वितरण तथा वसूली को सुनिश्चित करेंगे।

11. "हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के रूप में नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013" के अंतर्गत स्थापित जिला स्तरीय सतर्कता समितियां अपने कार्यक्षेत्र के अंतर्गत मैनुअल स्केवेंजर्स और उनके आश्रितों के पुनर्वास की निगरानी करेंगी।

12. स्कीम के कार्यान्वयन की वास्तविक निगरानी सुनिश्चित करने के लिए सहभागी वेबसाइट बनाई जाएगी और इसे जिला/राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर संचालित किया जाएगा। सॉफ्टवेयर लाभार्थियों के वास्तविक आंकड़े और उन्हें प्रदान किए जा रहे प्रत्येक लाभ का फीड सुनिश्चित करेगा।

13. अध्ययन और मूल्यांकन सहित प्रशासनिक और अनधिक व्यय अन्य लागत का 2% होगा। नमस्ते पोर्टल का विकास और रखरखाव एसएफसी द्वारा अनुमोदित मानदंडों के अनुसार किया जाएगा।

14. स्कीम के अंतर्गत विभिन्न लाभ प्राप्त करने के लिए दस्तावेज प्राप्त करने और प्रलेखन की कार्रवाई की पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन बनाया जाएगा।

15. नमस्ते पोर्टल के माध्यम से स्कीम के कार्यान्वयन संबंधी प्रगति रिपोर्ट की निगरानी की जाएगी।

16. निधियों को जारी करने के लिए स्कीम एमएसडीई, एसजेई तथा व्यय विभाग आदि द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों का अनुपालन करेगी।



अनुबंध-1

संकेतात्मक परियोजनाएं/कार्यकलाप (मैनुअल स्केवेंजर के लिए)

| क्र.सं | क्षेत्र | संकेतात्मक परियोजनाएं/कार्यकलाप/स्कीम |
|--------|----------------|--|
| 1. | कृषि क्षेत्र | <p>मिश्रित फार्मिंग, मधुमक्खी पालन, डेयरी, मुर्गी पालन, बतख पालन, दुधारू पशु।</p> <p>भूमि प्रापण, नर्सरी, वर्मी कंपोस्टिंग, औषधीय और सुगंधित पौधे, रेशम के कीड़ों का पालन और शहतूत फार्मिंग, मशरूम उगाना, ट्रैक्टर, पावर टिल्लर, बागवानी</p> |
| 2. | सेवा क्षेत्र | <p>चायपत्ती की दुकान, चाय की दुकान, बांस की दुकान, किराना दुकान, ऋंगार के समान की दुकान, मूर्ति बनाना, बढई का काम, रिक्शा, स्टील के बर्तन बेचना, गिफ्ट आइटम शाप, फूलों की दुकान, अंडों का बिजनेस, चावल बेचना, बड़ी/पापड़ बनाना, रेडीमेड कपड़े, मोबाइल रिपेयरिंग, टीवी/घरेलू उपकरण रिपेयरिंग, इलेक्ट्रीशियन, प्लंबिंग और मिस्त्री, फल और सब्जी विक्रेता और मीट शाप, पान शाप, ब्यूटी पार्लर, जूतों की दुकान, इलेक्ट्रॉनिक शाप, सीडी/कैसेट शॉप, कम्प्यूटर, फास्ट फूड, फोटो शॉप, डाइस पॉलिशिंग, नकली ज्वेलरी, गिफ्ट स्टाल, साइकिल रिपेयरिंग, नाई की दुकान, टेलर की दुकान, आटा चक्की, साइकिल किराए पर देना और मरम्मत करना। लकड़ी का फोटो फ्रेम, हाथ की बनी ईंटें, जाली पिल्लर, हर्बल कॉस्मेटिक्स, राखी/डेकोरेटिव झालर। फेब्रीकेशन वर्क, शटरिंग, कारपेंटरी बिजनेस, खाद की दुकान, मोबाइल रिपेयर बैट्री बाइंडिंग और रिपेयरिंग, टू/फोर व्हीलर रिपेयरिंग, नाई की दुकान, ऑटो-रिक्शा (पेट्रोल), आटो-मोबाइल रिपेयर शॉप, म्यूजिक स्टोर आदि।</p> <p>ढाबा/मिनी होटल, अधिवक्ता कार्यालय, ईट बेचना, ट्रेवल एजेंसी, मेडिकल शॉप, इंटरनेट कैफे, प्लास्टिक लैमिनेशन, कृषि उपकरणों की मरम्मत, ड्राई क्लीनिंग, ड्राइंग एंड ड्रेपिंग, डेंटिंग एंड पेंटिंग ऑफ व्हीकल्स और घरेलू उपकरण, सेनेटरी और हार्डवेयर शॉप घरेलू इलेक्ट्रिकल उपकरणों की सर्विस और रिपेयरिंग टेंट हाउस, बैंड पार्टी।</p> |
| 3. | उद्योग क्षेत्र | झाड़ू, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, पेपर, जूट और क्लॉथ बैग और फोल्डर, |



| | | |
|----|-------------------------------|---|
| | | <p>पेपर एन्वेलोप और फाइल कवर, एयर बैग/पर्स, हवाई चप्पल, सर्जिकल बैंडेज बनाना, पेपर कप और कप बनाना, मोजे बनाना।</p> <p>ब्रुश बनाना हॉलो ईंटे और जाली बनाना, प्रिंटिंग प्रेस, लोहार, कढ़ाई/जरी का काम, मशीन स्कू बनाना, चांदी के आभूषण, जूते बनाना, हर्बल शैंपू बनाना, टायर रिट्रीडिंग।</p> <p>चावल की मिल, स्टोन क्रशर, होजरी यूनिट, मिनरल सोडा वाटर प्लांट, आइस और वाटर प्लांट।</p> |
| 4. | परिवहन क्षेत्र | बोलेरो, महिंद्रा जीप, इनोवा, क्वालिस, टाटा स्मो, आरटीवी आदि। |
| 5. | सफाई आधारित परियोजनाएं | वैक्यूम लोडर, सक्शन/जेटिंग मशीन व्हीकल के साथ, कूड़ा फेंकने की गाड़ी, पे एंड यूज टायलेट आदि। |